न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – डॉ. कृति व्यास (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –21/2025

अनवान

1. श्री चारभुजानाथ स्थान देह जरिए श्री चारभुजा मंदिर विकास समिति जावराकलां, अध्यक्ष देवीलाल मीणा पिता रूपलाल मीणा जाति मीणा उम्र 43 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम जावराकलां तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

–वादीगण

बनाम

1. महावीर बैरागी पिता मोडूदास बैरागी, जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी ग्राम जावराकलां तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. श्रीमती ममता बाई पत्नि महावीर बैरागी, उम्र बालिग निवासी ग्राम जावराकलां, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. छीतर पिता मोडूदास बैरागी जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी ग्राम जावराकलां, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
4. सांवरा पिता मोडूदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी ग्राम जावराकलां, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
5. बजरंग पिता घासीदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी ग्राम जावराकलां, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगगढ़।
6. जरिये भूमिधारी तहसीलदार सा. रावतभाटा।

अप्रार्थीगण/विपक्षी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 दिवानी प्रक्रिया संहिता

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक वादी
श्री प्रदीप कुमार बिल्लू अभिभाषक प्रतिवादीगण
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 18.02.2026

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जावराकलां प0ह0 बाडौलिया तहसील रावतभाटा में श्री चारभुजाजी स्थान देह मंदिर ग्राम जावराकलां में स्थित है, उक्त मंदिर का रजिस्ट्रेशन श्री चारभुजा मंदिर विकास समिति के नाम से सहकारिता विभाग से किया हुआ है जिसकी पंजीयकरण संख्या COOP/2021/CHITTORGARH/200189 दिनांक 19.04.2021 पर पंजीबद्ध है, जो राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है, उक्त मंदिर की सेवा पुजा व देखरेख हेतू ग्राम जावराकलां प0ह0 बाडौलिया की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 19 खसरा संख्या 252, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 कुल किता 08 कुल रकबा 2.46है0 लगानी 59.43 रू खाते में श्री चारभुजाजी स्थान देह दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त मंदिर कमेटी की उक्त कृषि भूमियो की देखरेख तथा मंदिरकी सेवा पूजा में उपयोग मे लेते चले आ रहे है तथा उक्त जमीन से जो भी आमदनी होती है, उससे मंदिर की देखरेख निर्माण कार्य, पुजारी का वेतन इत्यादि मे श्री चारभुजा विकास समिति जावराकलां की सहमति से उपयोग उपभोग में लिया जाता है तथाउक्त मंदिर मीणा समाज के बरून्दना गौत्र का निजी मंदिर है तथा उक्त कृषि भूमियां भी मीणा समाज द्वारा ही मंदिर की सेवा पुजा द्वारा निकाली गई थी, तभी से मीणा समाज की उक्त मंदिर मे पुजारी की नियुक्ति करता चला आ रहा है तथा समय समय पर पुजारी की अदला बदली होती चली आ रही है जो पुजारी अच्छी तरह कार्य करता है उसे निरंतर रूप से रखा जाता है तथा जो पुजारी मंदिर की सम्पति के साथ छेडछाड तथा पुजा मे लापरवाही करता है उसे कमेटी व मीणा समाज द्वारा निर्णय लेकर हटा दिया जाता है। अभी हाल ही मे प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 द्वारा उक्त मंदिर की कृषि भूमि मे अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अमल दखल करने का प्रयास किया जा रहा है तथा कृषि भूमियों पर जबरन प्रवेश कर हकाई जुताई करने पर आमदा है, इसलिए यह वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी की कृषि भूमि जो ग्राम जावराकलां प0ह0 बाडौलिया की जमाबंदी सम्वत 2076–79

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की खाता संख्या 19 खसरा संख्या 252, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 कुल किता 08 कुल रकबा 2.46है0 लगानी 59.43रू श्री चारभुजाजी स्थान देह खाते मे दर्ज रिकार्ड है,उक्त कृषि आराजी मे किसी प्रकार का अमल दखल बाधा व अनाधिकृत प्रवेश न तो स्वयं करें न ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें इस बाबत जरिए स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर तद्नुसार डिक्री जारी फरमाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. बिल्लू द्वारा पैरवी हेतु वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाबदावा पेश किया गया। जवाबदावा अनुसार वाद पत्र की कलम संख्या 01 का जवाब इस प्रकार है कि मंदिर की भूमि के संबंध में सहकारिता विभाग से कोई समिति यदि पंजीकृत भी होती है तो वह मंदिर व मंदिर की सम्पत्ति का मालिक नही बन जाती है, पंजीयन केवल विधिक प्रक्रिया की औपचारिकता है, पंजीयन केवल संस्था के नाम का होता है पंजीयन के आधार पर किसी भी संस्था को कोई मालिकाना अधिकार नहीं मिलते है वादी ने गलत तथ्यों पर आधारित वाद पत्र पेश किया है। वादग्रस्त मंदिर व मंदिर की भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे मे है प्रतिवादीगण ही मंदिर की पूजा अर्चना कर रहे है तथा मंदिर के खाते की जमीन पर पूर्व मे प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने ही बनाया है तथा राजपरिवार की ओर से उक्त मंदिर को जो जमीन पूजनार्थ दी गई थी उस पर प्रतिवादीगण काबिज है मीणा समाज का अकेले का मंदिर नहीं है, विशेष कथन मे विस्तार से उल्लेख है। मीणा समाज द्वारा कभी भी मंदिर की पूजा अर्चना नहीं कराई गई। वादी ने अपने वाद पत्र मे यह तथ्य अंकित किये है कि मंदिर की सेवा पूजा वर्तमान मे मंदिर की कमेटी द्वारा की जा रही है लेकिन किसी पुजारी का नाम वाद पत्र मे नहीं लिखा है जो यह दर्शाता है कि पूरा वाद पत्र ही गलत तथ्यों पर आधारित है। वाद पत्र की कलम संख्या 02 का जवाब इस प्रकार है कि मंदिर की सेवा पूजा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 द्वारा कराई जा रही है महिलाओं बच्चों द्वारा कभी भी मंदिर की सेवा पूजा नहीं की गई है, मंदिर के खाते की जमीन बरसों से प्रतिवादीगण के कब्जे मे है और वे ही खेती कर रहे है। दिनांक 02.05.2025 को नये सिरे से प्रतिवादीगण जमीन को हांकने नहीं गए। वाद पत्र की कलम संख्या 03 का जवाब इस प्रकार है कि मंदिर प्रतिवादीगण के पुर्वजों ने बनाया है वादग्रस्त जमीन राज परिवार द्वारा प्रतिवादीगण के पुर्वजों को पूजनार्थ दी गई है वादी व कमेटी का मंदिर व उसकी जमीन पर कोई हक व अधिकार नहीं है, इसलिए कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हो रहा है वादग्रस्त जमीन आज भी हम प्रतिवादीगण के कब्जे मे है। विशेष कथन में विस्तार से उल्लेख है। मंदिर के खाते की भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे मे है, मंदिर की पूजा भी वे ही कर रहे है मंदिर मे लाईट भी प्रतिवादी के घर से ही जा रही है वादी को मंदिर व उसकी भूमि पर कोई अधिकारी नहीं है। वादी कमेटी बनाकर कमेटी की आड़ में मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते है जो न्यायोचित नहीं है। वाद पत्र की कलम संख्या 4 का जवाब इस प्रकार है कि वादी का वादग्रस्त जमीन पर कब्जा नहीं है इसलिए वह किसी प्रकार का निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जब तक वादी घोषणात्मक डिक्री प्राप्त नहीं कर ले तब तक वह किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। वाद पत्र की कलम सं. 05 कानूनी है ।

::— विशेष कथन —::

प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार से है:—

केशवराम (फौत)

नन्दरामदास (फौत)

औंकारदास (लाऔलाद फौत)

उदयदास

बिहारीदास (लाऔलाद फौत)

चतरदास

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बसरामदास उर्फ छोटूदास

किशनदास

घासीदास	मोडूदास
पार्वती (पत्नि)	महावीरदास

(पुत्र)

बजरंगदास(पुत्र)	मांगीबाई (पुत्री)
संतोष (पुत्री)	छीतरदास (पुत्र)
अशोकदास (पुत्र–फोत)	रामभरोसबाई (पुत्री)
प्रीती (पत्नि अशोकदास)	सांवरादास (पुत्र)
आस्था (पुत्री अशोकदास)	
ललितदास(पुत्र अशोकदास)	
मांगीबाई (पुत्री घासीदास)	
रामप्रसाद उर्फ राजेश (पुत्र)	
शम्भूदास (पुत्र)	
सुनीता (पुत्री)	

संवत 1848 में भैंसरोडगढ़ के ठाकुर मानसिंह पुत्र लाल सिंह जी थे तथा चित्तौडगढ़ के ठाकुर भीमसिंह पुत्र हरीसिंह जी राणावत सिसौदिया थे तब ग्राम ऐरा से नन्दरामदास पुत्र केशवरामदास जी महन्त गांव झरनियॉ से बड़ी जावरा आए थे तथा उन्होंने बडी जावरा में कच्चा राधा–कृष्ण का मंदिर बनवाया था। संवत 1850 में बैसाख सुदी तीज को उद्यापन किया गया तथा राधा–कृष्ण की मूर्ति पधराई गयी तब तत्कालीन जागीरदार ने नन्दरामदास जी को 16 बीघा जमीन जागीरी की दी थी तब से नन्दरामदास जी मंदिर की उक्त जमीन पर काबिज होकर कास्त कर रहे है, नन्दरामदास जी के पुत्र उदयदासजी ने इसी जमीन पर पूर्वी दिसा में संवत 1870 में जिंदी समाधी भी ली थी, बाद में राधा–कृष्ण जी का नाम चारभुजा मंदिर रखा गया तथा बाद में जागिरी की जमीन में से मंदिर के पास की जमीन मानसिंह जी ने अनुदान मे दी थी। कालूराम पिता बालमुकुन्द जी जागा (बड़वा) हाल मुकाम बालाकुण्ड कोटा थाना दादाबाड़ी कोटा की पोथी में यह सब तथ्य अंकित है तथा कालूराम जी ने ही उक्त समस्त तथ्य हम प्रतिवादीगण को लिखकर दिये थे। मंदिर के पास की जमीन पर घर झोपड़ा बनाने के लिए महाराज इन्द्रसिंह जी ने बसरामदास उर्फ छोटूदास को 91 रूपये नजराना पेश करने पर दी थी जिसका भी कालूराम जी की पोथी में आज भी अंकन है। बसरामदास जी ने 91 रूपये नजराने के जमा कराये है जिसका खत भी है जो मेवाड़ी भाषा मे लिखा है, उदयपुर में ओमप्रकाश शनाड्य अजी नवीस है जिनका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 3624 है उन्होने उक्त खत की मेवाड़ी भाषा को पढ़कर हिन्दी में कम्प्यूटर से टंकण करवाकर हम प्रतिवादीगण को दिया है। चारभुजा नाथ की जमीन जो ग्राम जावरा कलां प0ह0 बाडोलिया तहसील रावतभाटा में स्थित जो हम विपक्षीगण के पूर्वज घासीदास व मोडूदास को माफी पूजनार्थ मिली थी जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

आराजी नम्बर	**रकबा (बीघा)**
72 (डोली)	17 बिस्वा
116 (टुकड़ी)	01 बीघा 12 बिस्वा
117 (बेतालिया)	02 बीघा 03 बिस्वा
118 (सेकड़ी टूकड़ी)	01 बीघा 09 बिस्वा
119 (बोल्या वालो टूकडो)	02 बीघा 01 बिस्वा
120 (ठाकुरजी को कूडो)	03 बिस्वा
121 (बड़ो टूकडो)	01 बीघा 16 बिस्वा
122 (बड़ो टूकडो)	01 बीघा 07 बिस्वा
कुल किता :– 08 रकबा	11 बीघा 08 बिस्वा

उक्त आराजियात के भू–प्रबन्धन के बाद जो नये खसरा नम्बर आवंटित हुए है जो निम्न प्रकार हैं :–

आराजी नम्बर	**रकबा (हैक्टे.)**
252	1.1800

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

293	0.3500
294	0.4600
295	0.3100
296	0.4400
297	0.0300
298	0.3900
299	0.3000
कुल किता :– 08 रकबा	2.4600 हैक्टेयर

ग्राम जावराकलां में स्थित मंदिर की पूजा अर्चना हम प्रतिवादीगण के पूर्वज करते आ रहे हैं तथा घासीदास व मोडूदास के निधन के बाद हम विपक्षीगण बजरंग, राजेशदास, शम्भूदास, महावीर,छीतरदास व सांवरादास ही करे रहे हैं बालभोग भी हमारे घर से ही बनकर जाता है तथा मंदिर की आरती–पूजा अर्चना मे जो भी सामग्री लानी पड़ती है वह भी हम प्रतिवादीगण ही लाते हैं, मंदिर में बिजली की व्यवस्था भी महावीरदास ने ही कर रखी है। चारभुजानाथ मंदिर की जमीन पर प्रतिवादीगण के पूर्वज काबिज होकर काश्त कर रहे थे तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण ही इस जमीन पर काबिज होकर का काश्त कर रहे है हम प्रतिवादीगण के आय का और कोईउ साधन भी नहीं हैं। वादग्रस्त जमीन पर कुए पर बिजली की मोटर भी लगी हुई है जिसपर कनेक्शन मोडूदास जी के नाम का है, वादग्रस्त जमीन को काबिल काश्त भी हमारे पूर्वजों ने ही बनाया व चारों ओर पत्थर की कोट हमारे पूर्वज व हमने ही बनाई है। चारभुजानाथ मंदिर की जमीन हम विपक्षीगण के पूर्वजों को माफी पूजनार्थ मिली है जिसमें हम प्रतिवादीगण के पूर्वज घासीदास व मोडूदास का नाम पूजारी की हैसियत से व खुद काश्त दर्ज रिकॉर्ड था। बाद में राज्य सरकार के आदेश से पुजारियों के नाम जमाबन्दी से हटा दिये गये लेकिन वादगस्त जमीन हम प्रतिवादीगण के कब्जे में होकर हम ही काश्त करते आ रहे हैं, घासीदास जी की वर्ष 2002 में मृत्यु हुई तथा मोडूदास जी की अभी हाल ही में 08 माह पूर्व ही मृत्यु हुई हैं। घासीदास व मोडूदास दोनो ही मंदिर के खाते की जमीन से राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे, मोडूदास जी कृषक होने से व मंदिर के खाते की जमीन पर काश्त करनेसे ग्राम सेवा सहकारी समिति जावराकलां के 2 बार सदस्य भी निर्वाचित हुए है। अंत में निवेदन किया कि वादी का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है, स्थगन की आड मे हम प्रतिवादीगण पुजारियों की जमीन छीनना चाहते है यदि हमारे विरूद्ध स्थगन जारी कर दिया गया तो हमे अपूर्णिय क्षति होगी, सुविधा संतुलन भी हम प्रतिवादीगण के ही पक्ष मे है।

पेरोकार सरकार स्वयं न्यायालय में उपस्थित। पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा अनुसार पटवार हल्का बाडोलिया ग्राम जावराकलां जमाबंदी सम्वत् 2076–79 के खाता संख्या 19 खसरा सं. 252 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा सं. 293 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा सं. 294 रकबा 0.46 हैक्टेयर , खसरा सं. 295 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा सं. 296 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा सं. 297 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा सं. 298 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा संख्या 299 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल रकबा 2.46 हैक्टेयर चारभुजाजी स्थान देह हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खाता में नोट सं. 01 से दिनांक 19.05.2025 खसरा सं. 252,293,294,295,296,297,298,299 सभी काश्तकार पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा के प्रकरण संत्र 42/2025 से निर्णय दिनांक 13.05.2025 जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा उक्त आराजियात से अप्रार्थी सं. 01 से 05 न तो स्वयं प्रवेश कर दखल अंदाजी करे ना ही अन्य दिगर व्यक्ति से करावे का नोट लगा हुआ हैं। वर्तमान स्थिति में उक्त भूमि खाली एवं पड़त हुई है। मंदिर की सेवा–पूजा एवं भूमि संबंधी विषय वादी एवं प्रतिवादियों के मध्य विवादास्पद है। शेष तथ्य वादी/प्रार्थी को स्वयं सिद्ध करे होंगे। बिन्दू सं. 3, 4 एवं 5 न्यायालय के विचाराधीन विषय हैं, जिन पर निर्णय माननीय न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार है। बिन्दु सं. अ एवं ब के संबंध में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि श्री चारभुजानाथ स्थान देह खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित किए जाने का अधिकार एवं श्रवणाधिकार पूर्णतः माननीय न्यायालय का है। इस संबंध में भूमिधारी तहसीलदार की ओर से कोई प्रतिवाद प्रस्तुत करना उचित नहीं हैं।

वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 दिवानी प्रक्रिया संहिता का पेश किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि हम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण के विरूद्ध केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया है जबकि वादग्रस्त जमीन हम प्रतिवादीगण के कब्जे मे है, इस जमीन पर हमारे पूर्वजो के समय से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है। जब तक घोषणा की डिक्री चाहने हेतु अनुतोष की मांग नही की जाती तब तक केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पोषणीय नही है, माननीय उच्चतम न्यायालय के इस संबधं में पारित किये गये विनिर्णय का दृष्टांत व अवलोकनार्थ प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। वादी का स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावें।

वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–151 दि.प्र.सं. का जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जावराकलां प0ह0 बाडौलिया तहसील रावतभाटा में श्री चारभुजाजी स्थान देह मंदिर ग्राम जावराकलां में स्थित है, उक्त मंदिर का रजिस्ट्रेशन श्री चारभुजा मंदिर विकास समिति के नाम से सहकारिता विभाग से किया हुआ है जिसकी पंजीयकरण संख्या COOP/2021/ CHITTORGARH/200189 दिनांक 19.04.2021 पर पंजीबद्ध है, जो राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है, उक्त मंदिर की सेवा पुजा व देखरेख हेतू ग्राम जावराकलां प0ह0 बाडौलिया की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 19 खसरा संख्या 252, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 कुल किता 08 कुल रकबा 2.46है0 लगानी 59.43 रू खाते में श्री चारभुजाजी स्थान देह दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त मंदिर कमेटी ही उक्त कृषि भूमियो की देखरेख तथा मंदिर की सेवा पूजा में उपयोग मे लेते चले आ रहे है तथा उक्त जमीन से जो भी आमदनी होती है, उससे मंदिर की देखरेख निर्माण कार्य, पुजारी का वेतन इत्यादि मे श्री चारभुजा विकास समिति जावराकलां की सहमति से उपयोग उपभोग में लिया जाता है तथा उक्त मंदिर मीणा समाज के बरून्दना गौत्र का निजी मंदिर है तथा उक्त कृषि भूमियां भी मीणा समाज द्वारा ही मंदिर की सेवा पुजा द्वारा निकाली गई थी, तभी से मीणा समाज ही उक्त मंदिर मे पुजारी की नियुक्ति करता चला आ रहा है तथा समय समय पर पुजारी की अदला बदली होती चली आ रही है जो पुजारी अच्छी तरह कार्य करता है उसे निरंतर रूप से रखा जाता है तथा जो पुजारी मंदिर की सम्पति के साथ छेडछाड तथा पुजा मे लापरवाही करता है उसे कमेटी व मीणा समाज द्वारा निर्णय लेकर हटा दिया जाता है। अभी हाल ही मे प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 द्वारा उक्त मंदिर की कृषि भूमि मे अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अमल दखल करने का प्रयास किया जा रहा है तथा कृषि भूमियों पर जबरन प्रवेश कर हकाई जुताई करने पर आमदा है जबकि प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमियों पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त मंदिर की देखरेख मंदिर कमेटी ही कर रही है तथा प्रतिवादीगण के कब्जे मे उक्त जमीन कभी भी नहीं रही है, ग्रामवासियों ओर मंदिर समिति के संचालन से ही मंदिर की देखरेख करते चले आ रहे है, न ही प्रतिवादीगण के पुर्वजो का कब्जा रहा है। मंदिर समिति विधिवत रूप से मंदिर समिति का रजिस्ट्रेशन सहकारिता विभाग से करवाकर मंदिर का संचालन कर रहे है। उक्त वाद पत्र किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा पेश नहीं किया गया है। उक्त दावा श्रीचारभुजाजी स्थान देह की समिति श्रीचारभुजा जी विकास समिति के द्वारा पेश किया गया है जिसे मंदिर की देखरेख व सुरक्षा करने का अधिकार है तथा वाद विधि की पुर्ण पालना करते हुए प्रस्तुत किया गया है इसलिए प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र सहव्यय खारिज किया जाना न्यायोचित है। ग्राम जावराकलां स्थित श्रीचारभुजाजी स्थान देह मंदिर की देखरेख श्रीचारभुजा जी मंदिर विकास समिति जावराकलां के द्वारा ही की जा रही है तथा उक्त समिति का गठन भी सभी ग्रामवासियों की सहमति से किया है तथा श्रीचारभुजाजी स्थान देह खातेदार काश्तकार है तथा एक खातेदार को अपनी सम्पत्ति का वाद पत्र पेश करने का पूर्ण अधिकार है तथा वाद पत्र पूर्ण विधिसम्मत तरीके से पेश किया गया है, एक खातेदार को घोषणा कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह खुद खातेदार है तथा उसे अपनी खाते की जमीन पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है तथा वादपत्र श्री चारभुजाजी स्थान देह जरिये श्री चारभुजा मंदिर विकास समिति जावरांकलां अध्यक्ष देवीलाल मीणा की ओर से प्रस्तुत किया गया है न किसी व्यक्ति विशेष की ओर से पेश किया गया है प्रतिवादीगण स्टेन्जर व्यक्ति है उनका किसी भी राजस्व रिकॉर्ड मे नाम अंकित नहीं है वह मंदिर की जमीन को हडप करना चाहते है, राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर नोटिफिकेशन जारी कर देवी देवताओं व मंदिर की जमीन से पुजारियों के नाम हटाने के आदेश जारी कर रखे है, क्योकि पुजारी उक्त नाम के आधार पर जमीनो को हडप करना चाह रहे थे, इसलिए राज्य सरकार ने भी पुजारियों के नाम हटा दिये है ताकि मंदिर की जमीने सुरक्षित रह सके तथा मंदिरो की सेवा पुजा भली भांति रूप से हो सके। इसलिए प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सहव्यय खारिज फरमाया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाना न्यायोचित है। अंत में वादी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सहव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त संपत्ति/आराजी ग्राम जावराकलां प0ह0 बाडौलिया की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 19 खसरा संख्या 252, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 कुल किता 08 कुल रकबा 2.46है0 भूमि स्थित है जो कि श्रीचारभुजा जी स्थान देह के खाते दर्ज रिकार्ड है जिस पर हम प्रतिवादीगण पुजारियों का हमारे पुर्वजो के समय से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है। जब तक घोषणा की डिक्री चाहने हेतु अनुतोष की मांग नही की जाती तब तक केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पोषणीय नही है, माननीय उच्चतम न्यायालय के इस संबधं में पारित किये गये विनिर्णय का दृष्टांत व अवलोकनार्थ हेतु वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA की Citation:2021(3) DNJ (SC) 933 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। अंत वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है। इसके विपरीत वकील विपक्षी/वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि ग्राम जावराकलां स्थित श्रीचारभुजाजी स्थान देह मंदिर की देखरेख श्रीचारभुजा जी मंदिर विकास समिति जावराकलां के द्वारा ही की जा रही है तथा उक्त समिति का गठन भी सभी ग्रामवासियों की सहमति से किया है तथा श्रीचारभुजाजी स्थान देह खातेदार काश्तकार है तथा एक खातेदार को अपनी सम्पत्ति का वाद पत्र पेश करने का पूर्ण अधिकार है तथा वाद पत्र पूर्ण विधिसम्मत तरीके से पेश किया गया है, एक खातेदार को घोषणा कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह खुद खातेदार है तथा उसे अपनी खाते की जमीन पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने दुर्भावना से तथा प्रकरण मे देरी करने क उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो गलत तथ्यों पर आधारित होने से चलने योग्य नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण ग्राम जावराकलां प0ह0 बाडौलिया की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 19 खसरा संख्या 252, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 कुल किता 08 कुल रकबा 2.46है0 के संबंध में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा.टी.ए. के तहत वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का कथन है कि कि ग्राम जावराकलां प0ह0 बाडौलिया की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 19 खसरा संख्या 252, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 कुल किता 08 कुल रकबा 2.46है0 लगानी 59.43 रू खाते में श्री चारभुजाजी स्थान देह दर्ज रिकार्ड है तथा श्री चारभुजा मंदिर विकास समिति के नाम से सहकारिता विभाग से पंजीबद्ध होकर समिति द्वारा मंदिर कमेटी की उक्त कृषि भूमियो की देखरेख तथा मंदिर की सेवा पूजा में उपयोग मे लेते चले आ रहे है तथा उक्त जमीन से जो भी आमदनी होती है, उससे मंदिर की देखरेख निर्माण कार्य, पुजारी का वेतन इत्यादि मे श्री चारभुजा विकास समिति जावराकलां की सहमति से उपयोग उपभोग में लिया जाता है, अतः उक्त कृषि आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी की उक्त कृषि आराजीयात में किसी प्रकार का अमल दखल बाधा व अनाधिकृत प्रवेश न तो स्वयं करे न ही अन्य दिगर किसी व्यक्ति से करावे इस बाबत जरिये स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर तदनुसार डिक्री जारी फरमाई जावें, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना धारा 151 दि. प्र.सं के ताहिद में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया है जबतक घोषणा की डिक्री चाहने हेतू अनुतोष की मांग नहीं की जाती तब तक केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पोषणीय नहीं है, इस संबंध में वकील प्रतिवादीगण /प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA की Citation:2021(3) DNJ (SC) 933 की प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जिसमें ''Relief of permanent injuction cannot granted in abscence of the possession. In Absence of possession suit is laible to be dismissed if relief of declaration is not claimed. के संबंध में तथ्य अंकित किये गये है। जिससे वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया जो विधिवर्जित होकर प्रथमदृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचनों के अनुक्रम में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 दि.प्र.सं. का प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 151 दिवानी प्रक्रिया संहिता का प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत ग्राम जावराकलां प0ह0 बाडौलिया की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 19 खसरा संख्या 252, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 कुल किता 08 कुल रकबा 2.46है0 के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. कृति व्यास)R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला चितौडगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official